BHARAT SANCHAR NIGAM LTD.

A GOVERNMENT OF INDIA ENTERPRISE
SR Cell, Corporate Office
8th Floor Bharat Sanchar Bhawan ,
Harish Chandra Mathur lane, Janpath
New Delhi-110 001

No. BSNL/6-1/SR/2009 Dated the 10.08.2010

To,

All CGMs, BSNL

Sub: **Eligibility criteria for allotment of BSNL-pool residential accommodations in CDA pay Scales to officers/officials in BSNL -reg.**

In view of the notification issued by Directorate of Estates vide its notification dated 21.08.2009 (Copy enclosed) regarding eligibility criteria for allotment of quarters in CDA pay scales, I have been directed to convey that the same eligibility criteria, **summarized as under,** may be followed for allotment of BSNL-pool residential accommodations to the officers/officials drawing their salary **in CDA pay** scales please.

Sl. No.	**Type of quarter**	**Eligibility criteria for allotment of BSNL-pool residential of accommodation in CDA pay scales as Grade pay**
1	Type-I	Rs.1300,Rs.1400,Rs.1600,Rs.1650 and Rs.1800
2	Type-II	Rs.1900,Rs.2000,Rs.2400 and Rs.2800
3	Type-III	Rs.4200,Rs.4600 and Rs.4800
4	Type-IV	Rs.5400 to Rs.6600
5	Type-IV (Spl)	Rs.6600
6	Type-V(A)	Rs.7600 and Rs.8000
7	Type-V(B)	Rs.8700 and Rs.8900
8	Type-VI(A)	Rs.10000
9	Type-VIB & above	Rs.67000 & above (**basic pay**)

2. Eligibility Criteria for employees of BSNL during their pay in IDA pay scale will be as per this office letter no. BSNL/6-1/SR/2009 dated 29.07.2010

3. All other terms & conditions for allotment of quarters will be the same as clarified by Directorate of Estates from time to time.

10/08/10
(Jagdish Narain)
AGM (SR-I) BSNLCO

Encl: As above

Copy to:

1. PPS to CMD, BSNL.
2. PPS to all Directors, BSNL, Board.
3. PS to CVO, BSNLCO
4. All Executive Directors, PGMs, GMs BSNL Corporate office.

(4)

EXTRACT FROM THE GAZETTE OF INDIA : PART II, SEC. 3, SUB-SEC. (i)

Appearing on Page Nos. 507—511

Dated 29-8-2009

शहरी विकास मंत्रालय

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(संपदा निदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 अगस्त, 2009

सा.का.नि. 128.—मूल नियमावली के नियम 45 के प्रावधानों के अनुसरण में राष्ट्रपति सरकारी आवास आबंटन (दिल्ली में सामान्य पूल) नियमावली, 1963 में और संशोधन करके एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, यथा :—

1. **संक्षिप्त शीर्षक व लागू होना :**

(1) इन नियमों को सरकारी आवास आबंटन (दिल्ली में सामान्य पूल) संशोधन नियमावली, 2009 के नाम से जाना जाएगा ।

(2) ये नियम सरकारी गजट में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे ।

2. **अनुपूरक नियम 317-बी-5 के स्थान पर प्रतिस्थापित नए अनुपूरक नियम :**

सरकारी आवास (दिल्ली में सामान्य पूल) आबंटन नियमावली, 1963 के अनुपूरक नियम-317, बी-5, में निम्नलिखित नियमों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा :

"आवासों का वर्गीकरण अनुपूरक नियम-317-बी-5

(1) इन नियमों में जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, कोई अधिकारी निम्न तालिका के कॉलम (1) में दर्शाए गए टाइप के आवास के आबंटन हेतु पात्र होगा/होगी :—

तालिका

आवास का टाइप	ग्रेड वेतन/मूल वेतन
(1)	(2)
I	रु. 1,300, रु. 1,400, रु. 1,600, रु. 1,650 तथा रु. 1,800
II	रु. 1,900, रु. 2,000, रु. 2,400 तथा रु. 2,800
III	रु. 4,200, रु. 4,600 और रु. 4,800
IV	रु. 5,400 से 6,600
IV (स्पे.)	रु. 6,600
V-ए (डी-II)	रु. 7,600 और 8,000
V-बी (डी-I)	रु. 8,700 और रु. 8,900
VI-ए (सी-II)	रु. 10,000
VI-बी (सी-I)	रु. 67,000 से रु. 74,999
VII	रु. 75,000 से रु. 79,999
VIII	रु. 80,000 तथा अधिक

(2) इन नियमों में जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, कोई अधिकारी निम्न तालिका के कॉलम (1) में दर्शाए गए टाइप के हॉस्टल आवास के आबंटन हेतु पात्र होगा/होगी :—

तालिका

हॉस्टल का टाइप	अधिकारी की श्रेणी अथवा उस तारीख को उनका ग्रेड वेतन, जिसे केंद्र सरकार ने इस प्रयोजनार्थ विनिर्दिष्ट किया है
(1)	(2)
सिंगल स्यूट (रसोईघर रहित)	रु. 4,200 तथा उच्चतर
सिंगल स्यूट (रसोईघर सहित)	रु. 4,200 तथा उच्चतर
डबल स्यूट	रु. 5,400 तथा उच्चतर
वर्किंग गर्ल हॉस्टल	सभी महिला अधिकारी, परिलब्धियों की सीमा के बगैर, पात्र होंगी ।

स्पष्टीकरण: किसी प्रकार के शक को दूर करने के लिए एतद्द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि :

(ए) सरकारी आवास हेतु किसी अधिकारी की पात्रता भारत सरकार में अधिकारी के मौजूदा पद व ग्रेड वेतन के अनुरूप निर्धारित की जाएगी;

(बी) निचले टाइपों अर्थात् टाइप-I से टाइप-IV के संबंध में पूर्विकता तारीख भारत सरकार में सेवा में आने की तारीख होगी ।

(सी) उच्चतर टाइप के आवास में अंत: परस्पर वरिष्ठता निम्नलिखित सिद्धांतों के अनुरूप निर्धारित की जाएगी, यथा:

(i) प्रथमत:, अधिकारी का ग्रेड वेतन;

(ii) इसके बाद समान ग्रेड वेतन के भीतर पूर्विकता तिथि । इस संबंध में पूर्विकता तिथि वह तिथि होगी जब से आवेदक विद्यमान ग्रेड वेतन सतत रूप से आहरित कर रहा हो;

(iii) जब दो अथवा दो से अधिक अधिकारियों की पूर्विकता तिथि समान हो तो अधिकारियों की अंत: परस्पर वरिष्ठता उनके मूल वेतन के आधार पर निर्धारित की जाएगी अर्थात् उच्चतर/अधिक मूल वेतन वाला अधिकारी प्रतीक्षा सूची में वरिष्ठ माना जाएगा;

(iv) जब दो अथवा दो से अधिक अधिकारियों की पूर्विकता तिथि व मूल वेतन समान हो तो अंत: परस्पर वरिष्ठता निर्धारण हेतु अगला सिद्धांत भारत सरकार की सेवा में पहले कार्यभार ग्रहण करने की तिथि है;

(v) जब दो अथवा दो से अधिक अधिकारियों की पूर्विकता तिथि, मूल वेतन तथा सरकारी सेवा ज्वाइन करने की तिथि समान हो तो पहले सेवानिवृत्त हो रहे अधिकारी को बाद में सेवानिवृत्त हो रहे अधिकारी से उच्चतर प्राथमिकता दी जाएगी ।

(डी) दो अथवा दो से अधिक अधिकारियों की अंत: परस्पर वरिष्ठता के निर्धारण का सिद्धांत जैसाकि खण्ड (सी) के उप खण्ड (ii) में विनिर्दिष्ट है 1 जनवरी, 2010 से लागू किया जाएगा ।

(ई) जहां पर टाइप V व टाइप VI आवास को क्रमश: टाइप VA तथा टाइप V बी एवं टाइप VI ए व टाइप VI बी के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है वहां टाइप V हेतु पात्र सभी अधिकारियों को एक साथ रखा जाएगा तथा इसी प्रकार टाइप VI हेतु पात्र अधिकारियों का भी एक साथ कर दिया जाएगा ।

(एफ) भारत सरकार के सचिवों तथा अपर सचिवों के मामले में दिल्ली में भारत सरकार की सेवा में आने की तारीख से उनकी अंत: परस्पर वरिष्ठता निर्धारित की जाएगी बशर्ते उसी सेवा में अधिकारी के बैच के किसी कनिष्ठ अधिकारी को उसके बैच के वरिष्ठ अधिकारी से प्राथमिकता प्रदान न की गई हो । जिन मामलों में सेवा में आने की तारीख समान हो, सेवा-निवृत्ति की तारीख उनकी परस्पर वरिष्ठता-क्रम इस सिद्धांत पर सुनिश्चित करेगी कि पहले आने वाली तारीख को बाद की तारीख से वरीयता दी जाएगी । अखिल भारतीय सेवाओं (ए आई एस) से इतर अधिकारियों के मामले में तैनाती के स्थान को दरकिनार करते हुए उनके भारत सरकार में सेवा में आने की तिथि से अंत: परस्पर वरिष्ठता निर्धारित की जाएगी ।

(जी) टाइप-V तथा उच्चतर आवास के पात्र अधिकारी पात्रता से निचले आवास हेतु आवेदन करने के भी पात्र होंगे बशर्ते कि ऐसा आवास टाइप-IV स्पैशल आवास से कम न हो । तथापि, डी-II और टाइप-IV स्पै. के लिए पात्र अधिकारी टाइप-IV आवास हेतु आवेदन करने के लिए भी पात्र होंगे/होंगी ।

फा. सं.-12035/1/98-नीति-II]

आर. एन. यादव, संपदा उपनिदेशक (नीति)

पाद टिप्पणी : मूल नियम दिनांक 6 मई, 1963 के एस.ओ. सं. 1330 द्वारा प्रकाशित किए गए थे । नियम 1980 में पुन: मुद्रित किए गए थे (अक्तूबर, 1979 तक संशोधित) तथा तदन्तर निम्नानुसार आशोधित किए गए थे :

1. एस.ओ. 1607, दिनांक 24 अप्रैल, 1982
2. एस.ओ. 4202, दिनांक 18 दिसम्बर, 1982
3. जी.एस.आर. 159, दिनांक फरवरी, 1983
4. एस.ओ. 2085, दिनांक 01 मई, 1985
5. सं. एस.ओ. 666, दिनांक 22 फरवरी, 1986
6. जी.एस.आर. 530, दिनांक 11 जुलाई, 1987
7. जी.एस.आर. 296, दिनांक 24 अक्तूबर, 1987
8. जी.एस.आर. 265, दिनांक 30 मई, 1992
9. जी.एस.आर. 150, दिनांक 26 मार्च, 1994
10. जी.एस.आर. 447, दिनांक 03 सितम्बर, 1994
11. जी.एस.आर. 454, दिनांक 14 अक्तूबर, 1995